



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए०/ 3245

दिनांक : 02.12.2020

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थानों में कार्यरत विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों से लगातार वेतन न मिलने एवं वेतन विसंगति के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हो रही है। मा० कुलपति जी द्वारा उपरोक्त शिकायतों के निस्तारण हेतु एक समिति का गठन किया गया है जो कि निम्नवत् है :-

01. प्रति-कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
02. प्रो० एम०के०गुप्ता, संकायाध्यक्ष विज्ञान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04. कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

अतः विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थानों में कार्यरत विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने महाविद्यालय/संस्थान से वेतन न मिलने एवं वेतन विसंगति के सम्बन्ध में अपनी शिकायत मेल आई०डी० registrar@ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि उपरोक्त शिकायत सम्बन्धी प्रकरणों को गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर निस्तारण किया जा सकें।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रति-कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं प्रेषित।
03. समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. सहायक कुलसचिव(सम्बद्धता), चौधरी चरण सिंह वि०वि०, मेरठ को सूचनार्थ एवं प्रेषित।
05. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता।
06. प्रभारी वेबसाइट।


कुलसचिव